

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक— 13 / 07 / 2022 ई० ।

1. 13 / पी,-104 / 2022— 2775 / सी०, श्री प्रशान्त सिंह, भा०पु०से०(1992), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, झा०स०पु०, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. 13 / पी,-104 / 2022— 2776 / सी०, श्रीमती तदाशा मिश्र, भा०पु०से०(1994), अपर पुलिस महानिदेशक, झा०स०पु०, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार— विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. 13 / पी,-104 / 2022— 2777 / सी०, श्री असीम विक्रांत मिंज, भा०पु०से०(2005), पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. 13 / पी,-104 / 2022— 2778 / सी०, श्री एम० तमिल वाणन, भा०पु०से०(2008), वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप—महानिरीक्षक (वेतनमान—Level-13A of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप—महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
5. 13 / पी,-104 / 2022— 2779 / सी०, श्री किशोर कौशल, भा०पु०से०(2012), पुलिस अधीक्षक, जे०ए०पी०टी०सी०, पदमा (अतिरिक्त प्रभार— पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग एवं पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
6. 13 / पी,-104 / 2022— 2780 / सी०, श्रीमती निधि द्विवेदी, भा०पु०से०(2013), समादेष्टा, झा०स०पु०-०८, लेस्लीगंज, पलामू को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

7. 13/पी,-104/2022— 2781/सी०, श्री पीयूष पाण्डेय, भा०पु०से०(2014),  
पुलिस अधीक्षक, जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश  
तक पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

8. 13/पी,-104/2022— 2782/सी०, श्री प्रभात कुमार, भा०पु०से०(2014),  
पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक,  
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं  
उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देना  
सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(शैलेश कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—13/पी,-104/2022— 2782 / राँची, दिनांक— 13/07/2022 ई०।  
प्रतिलिपि:—महालेखाकार, झारखण्ड, पो०—डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—13/पी,-104/2022— 2782 / राँची, दिनांक— 13/07/2022 ई०।

प्रतिलिपि:—नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग,  
झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/ माननीय राज्यपाल के  
प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा  
राजभाषा विभाग/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह,  
कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड,  
राँची/महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक, रेल, झारखण्ड,  
राँची/अध्यक्ष—सह— प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची/ सभी अपर  
पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस  
उप—महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी  
पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, झारखण्ड/ संबंधित पदाधिकारी/संबंधित कोषागार  
पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/अवर सचिव, प्रभारी प्रशास्त्रा—14, गृह, कारा एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्त पदाधिकारी एफ०आर० 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत  
आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं :—

"Under FR 22 (1) (a) (2) also there is a provision that on appointment on réguler basis to such new post, other than to an ex-cadre post on députation, the Government servant shall have the option, to be excersied within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

द्वीप  
13.07.2022

सरकार के अवर सचिव।